XIV-Form No. 563.

आदेश की कम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

30-01 2012

न्यायालय, समाहर्त्ता, पूर्णियाँ
नामातरण पुनरीक्षण वाद संख्या–79/2010

तेतरी देवी, पति–पलटू शर्मा, पिता–भोला शर्मा, साकिन–मखनाहा, थाना–बनमनखी, जिला–पूर्णियाँ ....

आवेदिका

बनाम

1. राज्य
2. देवकुमार भगत, पिता–स्व0 रामावतार भगत, साकिन–मखनाहा, थाना–बनमनखी, जिला–पूर्णियाँ.........................

विपक्षी

आ दे श

आवेदिका भूमि सुधार उप–समहर्त्ता, बनमनखी द्वारा नामान्तरण अपील वाद संख्या–27/2006–07 में दिनांक 27.03.2010 को पारित आदेश के विरूद्ध यह वाद प्रारम्भ किया है। आवेदिका का कथन है कि मौजा–मखनाहा, खाता संख्या–282, खेसरा संख्या–308, रकवा–0.02 एवं खाता संख्या–283, खेसरा संख्या–844/1352, रकवा–1.80 एकड़, खेसरा संख्या–843/1352, रकवा–2.90 एकड़, कुल रकवा–4.72 एकड़ उसके पिता भोला शर्मा के नाम से था और उनके दखल में था। उक्त जमीन का मालगुजारी रसीद भी उनके पिता कटाते थे। विपक्षी संख्या–2 क्षेत्र का बड़ा जमीन्दार है और अपने प्रभाव से वर्ष 1960 ई0 में खाता संख्या–283 की जमीन जमाबन्दी पंजी–II में अपने नाम दर्ज करवा लिया। मालगुजारी रसीद कटाने के कम में आवेदिका को ज्ञात हुआ कि उसके पिता के नाम की जगह विपक्षी संख्या–2 का नाम अंकित है, जबकि खाता संख्या–282 अभी भी आवेदिका के पिता के नपाम से ही है। आवेदिका अपने पिता का एकमात्र कानूनी वारिस है। इस आशय की सूचना आवेदिका ने अंचलाधिकारी, बनमनखी को दी। अंचलाधिकारी द्वारा नामान्तरण वाद संख्या–5/1994–95 प्रारम्भ कर हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से विवादास्पद जमीन के संबंध में जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी। हल्का कर्मचारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि खाता संख्या–282 एवं 283 की जमीन पर अभी भी आवेदिका का ही दखल–कब्जा है। अतः जमाबन्दी पंजी– II में सुधार किया जाय। अंचलाधिकारी द्वारा दिनांक 06.10.1994 को जमाबन्दी पंजी में सुधार कर आवेदिका के नाम से जमाबन्दी दर्ज की गयी। लगभग दस वर्षो के बाद विपक्षी द्वारा भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, बनमनखी के न्यायालय में नामान्तरण अपील वाद संख्या–27/2006–07 प्रारम्भ किया गया। इस जमीन को लेकर रामप्रसाद भगत ने अयोधी शर्मा के विरूद्ध स्वत्व वाद संख्या–55/1953 दायर किया था, जिसमें राम प्रसाद भगत के पक्ष में आदेश पारित हुआ था। पुनः अयोधी शर्मा ने स्वत्व अपील वाद संख्या–148/55 जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में दायर किया गया था, जो खारिज हो गया था। इस आधार पर निम्न न्यायालय द्वारा अंचलाधिकारी द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया गया, जो अवैधानिक है। प्रश्नगत जमीन पर आज भी आवेदिका ही दखलकार है। अतः आवेदिका इस न्यायालय से अनुरोध करती है कि निम्न न्यायालय द्वारा

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

परित आदेश को रद्द करने की कृपा की जाय।

विपक्षी का कथन है कि प्रश्नगत जमीन भूल से आवेदिका के पिता के नाम दर्ज हो गया था, इसलिये विपक्षी के पिता ने स्वत्व वाद संख्या–55/1953 प्रारम्भ किया था और उस वाद में विपक्षी के पिता को प्रश्नगत जमीन पर स्वत्व प्राप्त हुआ था। इस स्वत्व वाद के आदेश के आधार पर जमाबन्दी विपक्षी के नाम दर्ज हुई थी। अंचलाधिकारी द्वारा हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर जमाबन्दी पंजी में सुधार किया गया, जो गलत है। भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता द्वारा पारित आदेश विधि के अनुकूल है। अतः विपक्षी न्यायालय से अनुरोध करता है कि आवेदिका द्वारा प्रारम्भ किये गये इस वाद को खारिज करने की कृपा की जाय।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 09.12.2011 को उभय पक्षों को सुना गया। आवेदक का कथन है कि अंचलाधिकारी के न्यायालय में विपक्षी को नोटिश नहीं देने का आधार बनाकर निम्न न्यायालय द्वारा वाद को खारिज किया गया। परन्तु अंचलाधिकारी न्यायालय के आदेश से स्पष्ट है कि नोटिश दिया गया एवं तामिला भी प्राप्त हुई है। इसके बाबजूद भी विपक्षी अनुपस्थित रहे। तदुपरान्त अंचलाधिकारी द्वारा निर्णय लिया गया।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि पुनरीक्षित खतियान में गलत प्रविष्टि हो गया, जो अंचलाधिकारी द्वारा बिना नोटिश दिये जमाबन्दी को रद्द किया गया, इसलिये निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय संगत है।

पुनः दिनांक 27.01.2012 को सुनवाई हेतु रखी गयी।

उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन तथा सुनवाई से स्पष्ट है कि विद्वान भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, बनमनखी के द्वारा भूमि के स्वामित्व के संबंध में अधिक चर्चा किया गया, परन्तु प्रश्नगत जमीन के दखल–कब्जा के संबंध में कोई चर्चा नहीं किया गया। यहभी प्रमाणित नहीं किया गया है कि अंचलाधिकारी के न्यायालय से विपक्षी को नोटिश तामिला नहीं किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में विद्वान भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, बनमनखी द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत नहीं पाया जाता है, इसलिये आवेदिका के आवेदन को स्वीकृत करते हुए विद्वान भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, बनमनखी के आदेश को खारिज किया जाता है। इस निर्णय के साथ वाद को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ